न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष सं0–2, शाहजहाँपुर।

परिवाद सं0–90/19

रामदास बनाम अशोक कुमार आदि

06–09–2019:

आज यह पत्रावली अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में आदेश हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी की ओर से अभियुक्तगण/विपक्षीगण **अशोक कुमार, श्याम, योगेन्द्र, श्री ओम, अनूप व ठाकुर प्रसाद** के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि वह अनुसूचिज जाति की जाटव है। दिनांक 22–06–2019 को उसका 10 वर्षीय पुत्र हेमेन्द्र कुमार स्कूल के दक्षिण खेल रहा था कि समय करीब 10 बजे दिन उक्त सभी मुलजिमान ने एकराय होकर अपने बाग के पास पुरानी पानी निकास व जगह की रंजिश के कारण पकड़ कर लात घूसों व चप्पलों से मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह व उसकी पत्नी रामवती व मेहमानी में आये रामदेई बचाने मौके पर पहुॅचे तो उक्त सभी मुलजिमान यह कहते हुए कि साले चमट्टे तेरी इतनी हिम्मत की मेरे बाग के किनारे खेल रहा है, दुबारा बाग के किनारे आ गया तो तुझे जान से जान डालेंगे। उसने उसी दिन थाना पुवायॉ में तहरीर दी तथा दिनांक 23–06–2019 को श्रीमान् क्षेत्राधिकारी, पुवायॉ को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों व अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को पत्र भेजा पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी की ओर से धारा–200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत स्वयं अपना सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 चुटहैल हेमेन्द्र कुमार, पी0डब्लू0 2 रामवती व पी0डब्लू0 3 रामदेई को परीक्षित कराया गया।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0 प्र0 सं0 में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 22–06–2019 को सुबह 10 बजे की घटना है। उसका लड़का हेमेन्द्र स्कूल के दक्षिण साइड में खेल रहा था। श्याम, अशोक व श्री ओम ने उसके लड़के के साथ लातघूसों से मारपीट की। जब उसका लड़का चिल्लाया तो वह व उसकी पत्नी रामवती व उसके पत्नी की बड़ी बहन जो कि मेहमानी में आयी हुई थी, मौके पर पहुॅच गये। उन लोगों ने हेमेन्द्र को बचाने का प्रयास किया, तो अशोक, श्याम व श्री ओम ने उन्हें जाति सूचक गाली देते हुए कहा कि साले चमट्टे हमारे बाग की तरफ आ गया, तेरी इतनी हिम्मत तथा मां–बहन की गाली दी। योगेन्द्र, अनूप व ठाकुर प्रसाद भी वहीं थे, उन्होंने भी उसके लड़के को मारा तथा उन्हें जाति सूचक गाली दी। वे बच्चे को बचाकर थाने गये, थाने में तहरीर दी, परन्तु उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत परीक्षित किये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–01, पी0डब्लू0–02 व पी0डब्लू0–03 ने भी अपने सशपथ साक्ष्य से परिवादी द्वारा धारा–200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दिये गये साक्ष्य का समर्थन किया है।

पी0डब्लू0 1 हेमेन्द्र कुमार ने अपने बयान में कहा है कि वह जाति से अनुसूचित जाति जाटव है। दिनांक 22–06–2019 को सुबह 10 बजे की घटना है। उसे अशोक, श्याम, योगेन्द्र, ओम, अनूप व ठाकुर प्रसाद ने मारापीटा। उसे लातघूसों व चप्पलों से मारापीटा। उसके पिता से मुलजिमान की पुरानी रंजिश थी, इस कारण उसे मुलजिमान ने मारापीटा। वह

चिल्लाया तो चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता व मौसी रामदेई बचाने आये। तब इन लोगों ने कहा कि साले चमट्टे तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बाग के किनारे आ गया। जब वह घर पर आये तो उसके पापा रिपोर्ट लिखाने उसे लेकर थाना आये। थाने वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। साक्षी पी0डब्लू0–02, पी0डब्लू0–03 ने भी पी0डब्लू0–01 के बयानों का समर्थन किया है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अपने धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान में परिवादी ने मुलजिमान द्वारा परिवादी के पुत्र हेमेन्द्र कुमार को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है।

अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 व उसकी ओर से धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 के साक्ष्य तथा परिवाद–पत्र के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस का मत है कि विपक्षीगण **अशोक कुमार, श्याम, योगेन्द्र, श्री ओम, अनूप व ठाकुर प्रसाद** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा–147,148,323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनता पाया जाता है। अतः विपक्षीगण **अशोक कुमार, श्याम, योगेन्द्र, श्री ओम, अनूप व ठाकुर प्रसाद** उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत परीक्षण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण/अभियुक्तगण **अशोक कुमार, श्याम, योगेन्द्र, श्री ओम, अनूप व ठाकुर प्रसाद** को धारा–147,148,323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत परीक्षण हेतु जरिये सम्मन नियत तिथि के लिए तलब किया जाता है।

परिवादी सूची गवाहान प्रस्तुत करे एवं आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांकः –... –2019 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष सं0–2, शाहजहाँपुर।